

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज०)

दि० न०

130/2004

तारीख दिनांक

08/09/2020

संज्ञित कैसना

25/9/2020

पीठासीन अधिकारी-दीपक महावर (आर ए एस)

उनवान

1. धनश्याम आत्मज बजरंगा जाति धाकड़ निवासी माग दीगोद तहसील दीगोद

बनाम

(वादी)

1. सूरजमल आत्मज बजरंगा जाति धाकड़ जयें कायम मुकामान

1/1. मुरली पुत्र सूरजमल

1/2. ओम प्रकाश पुत्र सूरजमल

1/3. जानकी बाई बेवा सूरजमल

1/4. बनास बाई पुत्री सूरजमल

1/5. चन्द्रकला पुत्री सूरजमल

1/6. उर्मिला पुत्री सूरजमल

2. चन्दा लाल आत्मज बजरंगा जाति धाकड़

3. हीरालाल आत्मज बजरंगा जाति धाकड़ निवासीगण दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

4. जमना बाई पुत्री बजरंगा (मृतक) जरिये कायम मुकामान -

4/1. लटूर लाल पुत्र जमना बाई

4/2. भवानी शंकर पुत्र जमना बाई

4/3. चेताराम पुत्र जमना बाई जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम जलोद जिला बून्दी ।

4/4. फूला बाई पुत्री जमना बाई जाति धाकड़ निवासी के० पाटन तहसील के० पाटन जिला बून्दी

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से -

प्रतिवादी न० 3 व 4 की ओर से-

श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट

श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

1- यह कि ग्राम दीगोद की खाता संख्या 56 में अन्य भूमि के साथ खसरा न० 7 358 सूण्डी की 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न० 1858/359 की 1 बीघा 1 बिस्वा व खसरा न० 360 की 11 बिस्वा कुल 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि सम्वत् 2004 से 2007 तक की जमा बन्दी में खातेदार बजरंगा बेटा नारायण जाति धाकड़ के नाम दर्ज चली आ रही थी जमाबंदी नकल पेश है।